

14.11.17

मन्त्रालय पेश हुई। अपीलकर्ता व
 व वकील अपीलकर्ता को उपस्थित।
 अपीलकर्ता व अपीलकर्ता के अधिकार
 को एक-दूसरे के बीच और अपील
 करण के दि। अपील अपीलकर्ता
 की उपस्थिति व कर्तव्य परवी
 से। पारसी की जाती है। अपील
 फलतः सुमा एक मन्त्रालय
 कर ले। बाद तत्काल कार्रवाई
 कर्तव्य है।

मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
 उदयपुर (राज.)